हिन्दुस्तान

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 18/2024

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के लिए छात्र/छात्राओं का प्रवेश पत्र (Admit Card) समिति की वेबसाईट पर जारी किये जाने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा राज्य के माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचित किया जाता है कि **वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 के इन्टरनल एसेसमेन्ट/प्रायोगिक परीक्षा (दिनांक 18.01.2024 से 20.01.2024 तक) एवं सैद्धान्तिक परीक्षा (दिनांक 15.02.2024 से 23.02.2024 तक) में सम्मिलित होने के लिए छात्र/छात्राओं का प्रवेश पत्र (Admit Card) समिति की वेबसाईट http://secondary.biharboardonline.com पर दिनांक 14.01.2024 से अपलोड रहेगा।**

2. माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान **समिति की वेबसाईट http://secondary.biharboardonline.com** पर अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन करने के उपरांत **दिनांक 14.01.2024** से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने विद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ हस्तगत् कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि विद्यालयों में आयोजित होने वाली इन्टरनल एसेसमेन्ट/प्रायोगिक परीक्षा **(दिनांक 18.01.2024 से 20.01.2024 तक)** एवं परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली सैद्धान्तिक परीक्षा **(दिनांक 15.02.2024 से 23.02.2024 तक)** के आयोजन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। डाउनलोड एवं वितरित किये गए प्रवेश पत्र के आधार पर एक समेकित विवरणी पंजी भी संधारित कर सुरक्षित रखेंगे।

3. विद्यालय प्रधान पूर्णतः आश्वस्त हो लेंगे कि विद्यालय के सभी अर्हक छात्र/छात्राओं का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें प्राप्त करा दिया गया है और किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश पत्र प्राप्त कराना अब शेष नहीं रह गया है ताकि किसी भी छात्र/छात्रा को इन्टरनल एसेसमेन्ट/प्रायोगिक परीक्षा एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

4. (i) यह प्रवेश पत्र उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में उत्प्रेषित/उत्तीर्ण वैध छात्र/छात्राओं के लिए ही मान्य होगा। उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में गैर–उत्प्रेषित (Non Sent-up)/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित छात्र/छात्रा/विद्यार्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में कदापि सम्मिलित नहीं होंगे। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी विद्यालय द्वारा आयोजित उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में गैर–उत्प्रेषित (Non Sent-up)/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित है, उनका प्रवेश पत्र (Admit Card) किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इस निर्देश की उपेक्षा करते हुए यदि किसी विद्यालय के प्रधान द्वारा किसी भी गैर–उत्प्रेषित (Non Sent-up)/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित छात्र/छात्रा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाता है, तो इसे घोर अनियमितता मानते हुए समिति द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के लिए परीक्षार्थी तथा संबंधित विद्यालय के प्रधान जिम्मेवार होंगे।

(ii) शिक्षा विभाग, बिहार का पत्रांक–09/विविध–34/2023–800, दिनांक 21.10.2023 के माध्यम से प्राप्त निदेश के आलोक में उन विद्यार्थियों को जिन्हें अपनी कक्षा में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण संबंधित माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थान द्वारा उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, को आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराया जाना है। इस विभागीय निदेश के अनुपालन में समिति के पत्रांक–BSEB(SS)/KEN/1126/2023, दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नामांकन रद्द किये गए विद्यार्थियों को उत्प्रेषण जांच परीक्षा में शामिल नहीं कराये जाने का अनुरोध भी किया जा चुका है।

(iii) इसी क्रम में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार का पत्रांक–09/विविध–34/2023–34, दिनांक 04.01.2024 द्वारा भी इस आशय का निदेश निर्गत किया गया है, वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन रद्द किया जा चुका है, को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित नहीं कराया जाय। इसका अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य है। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं जिनका नामांकन रद्द है, परंतु विद्यालय प्रधान द्वारा ऑनलाईन पंजीयन/परीक्षा आवेदन भरे जाने के कारण यदि प्रवेश पत्र जारी हुआ है, तो उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यालय प्रधान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। विभागीय निदेश की अवहेलना कर यदि किसी विद्यालय प्रधान के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाता है, तो इसके लिए वे पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

5. विदित हो कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के लिए प्रारंभ में ऑनलाईन पंजीयन आवेदन भरते हुए निर्धारित शुल्क जमा किये जाने की व्यवस्था की गई थी। इस कारण यह पाया जा रहा है कि कतिपय छात्र/छात्रा का विद्यालय प्रधान ऑनलाईन पंजीयन आवेदन भरा गया है, किंतु उनका निर्धारित शुल्क बकाया है, अथवा कम जमा किया गया है। इस परिदृश्य में ऐसे छात्र/छात्राओं का पंजीयन आवेदन मद में बकाया शुल्क ऑनलाईन जमा करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में समिति का पोर्टल दिनांक 20.01.2024 तक खुला रहेगा। इस पर विशेष ध्यान देकर संबंधित विद्यालयों के प्रधान द्वारा अपने जिन छात्र/छात्राओं का पंजीयन शुल्क बकाया है, उसे अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

6. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावक को सूचित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय प्रधान से संपर्क कर अपना प्रवेश पत्र (प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त) प्राप्त कर लेंगे तथा इंटरनल एसेसमेंट/प्रायोगिक परीक्षा **दिनांक 18.01.2024 से 20.01.2024 तक** एवं सैद्धान्तिक परीक्षा **दिनांक 15.02.2024 से 23.02.2024 तक** की अवधि में अपने प्रवेश पत्र के अनुसार सम्मिलित होंगे।

7. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने हेतु विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन भरे गये पंजीयन/परीक्षा आवेदन एवं सभी छात्र/छात्राओं का डमी प्रवेश पत्र जारी करने के बाद छात्रहित को ध्यान में रखते हुए परिलक्षित त्रुटियों का ऑनलाईन संशोधन हेतु समिति द्वारा विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से कई बार अवसर प्रदान किया गया था। तद्नुसार ही समिति द्वारा सभी छात्र/छात्राओं का प्रवेश पत्र निर्गत किया गया है। सभी छात्र/छात्राओं के निर्गत प्रवेश पत्र के अनुसार ही इन्टरनल एसेसमेन्ट/प्रायोगिक परीक्षा एवं सैद्धान्तिक परीक्षा का संचालन एवं उनमें छात्रों का सम्मिलित किया जाएगा। किसी भी विद्यालय प्रधान/परीक्षा केन्द्राधीक्षक द्वारा छात्र/छात्राओं के निर्गत प्रवेश पत्र से भिन्न विषयों की परीक्षा नहीं ली जाएगी और ना ही प्रवेश पत्र में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा अथवा किसी संशोधित बिन्दु की स्वीकृति दी जाएगी। यदि विद्यालय प्रधान/परीक्षा केन्द्राधीक्षक द्वारा किसी छात्र/छात्राओं के निर्गत प्रवेश पत्र में संशोधन किया जाता है अथवा संशोधित बिन्दु की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रवेश पत्र से भिन्न विषयों की परीक्षा ली जाती है, तो वैसे विद्यालय प्रधान/परीक्षा केन्द्राधीक्षक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करते हुए निलंबन हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुशंसा की जाएगी।

8. **दिव्यांगजन अभ्यार्थियों को लेखक (Writer) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई** :–

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक-F.No 16-110/2003-DD III, दिनांक 26-02-2013 एवं पत्रांक F.No 29-06/2019-DD III, दिनांक 10-08-2022 द्वारा संसूचित प्रावधान के आलोक में वैसे दिव्यांग परीक्षार्थियों को जो स्वयं से लिखने में असमर्थ हैं, उनके अनुरोध के आधार पर श्रुतिलेखक उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि दिव्यांग अभ्यार्थीगण अपना श्रुतिलेखक भी ला सकते हैं। श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजन को परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना होगा।

9. ऑनलाईन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं पंजीयन/परीक्षा शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति की **हेल्पलाईन नम्बर–0612–2232074** पर सम्पर्क किया जा सकता है अथवा E-mail ID : **bsebsehelpdesk@gmail.com** पर सूचित कर किसी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)